2024:RJ-JP:42387-DB

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3496/2022

Smt. Asha Devi W/o Shri Ashok Kumar Jain, Aged About 55 Years, R/o 35, Manuvihar Vistar Colony, Keshav Vidhyapeeth, Jamdoli, Jaipur.

----Appellant

Versus

1. Smt. Seema Sharma W/o Shri Surendra Kumar Sharma, Aged About 45 Years, R/o Plot No. B-15, Madhav Nagar, Keshav Vidhyapeeth, Jamdoli, Dausa Road, Jaipur.
2. Punjab National Bank, Through Manager/director, Branch Goner, Tehsil Sanganer, District Jaipur Rajathan.

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Rajendra Kumar Saini, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Brij Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

24/02/2026

अपीलार्थी/प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम–1 (आगे ''प्रतिवादी क्रम–1'' कहा जायेगा) के द्वारा यह अपील प्रत्यर्थी/वादी/विपक्षी (आगे ''वादीया'' कहा जायेगा) के विरूद्ध पारिवारिक न्यायालय दौसा, जिला–दौसा द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या–06/2019 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से प्रतिवादी क्रम–1 का आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. व धारा 5 परिसीमा अधिनियम खारिज किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम–1 व वादीया की बहस सुनी, अभिलेख का अवलोकन किया।

सुसंगत तथ्य यह है कि वादीया द्वारा विचारण न्यायालय में विक्रय अनुबंध की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु वाद संख्या–23/2018 (32/2015) प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी क्रम–1 के दिनांक 25.07.2019 को अनुपस्थित

रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई, तत्पश्चात् प्रतिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध कर दिनांक 17.09.2019 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसे अपास्त करने हेतु दिनांक 14.11.2019 को प्रतिवादी क्रम–1 की ओर से आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पेश किया, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2022 के माध्यम से अस्वीकार किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम–1 का निवेदन है कि दिनांक 25.07.2019 को प्रतिवादी क्रम–1 गंभीर रूप से अस्वस्थ थी और स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2019 को प्रतिवादी क्रम–1 की अनुपस्थिति को उचित माना है, परंतु पश्चात्वर्ती चार तारीख पेशियों पर अनुपस्थिति निरंतर रहने व दिनांक 25.07.2019 से पूर्व के कथन विलम्बकारी आचरण के आधार पर उनका आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. खारिज किया गया है, जो तथ्यों व विधि के अनुरूप नहीं है। यह भी निवेदन किया कि मामला अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ है, तथ्यों के संबंध में सारवान प्रश्न अंर्तवलित है, अतः प्रतिवादी क्रम–1 को सुनवाई का मौका दिया जाना न्यायहित में उचित है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादीया की ओर से यह तर्क दिया गया कि दिनांक 25.07.2019 से पूर्व भी वादी पक्ष का विचारण में सतत रूप से असहयोग रहा है, उसके बाद भी चार तारीख पेशी नियत की गई थी, प्रतिवादी क्रम–1 अथवा उसके पति अथवा अधिवक्ता उपस्थित हो सकते थे, अनुपस्थिति का कोई उचित आधार नहीं बताया गया है और सभी तथ्यों को विचार में लेने के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2022 पारित किया है, जो विधिसम्मत है और अंत में अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में पुनः अभिलेख व विशेष रूप से विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया।

यह विवादरहित है कि इस प्रकरण में प्रतिवादी क्रम–1 पर समन सम्यक रूप से तामील हुए तथा उसके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति देते हुए विचारण में भाग लिया गया। दिनांक 25.07.2019 को एकपक्षीय

कार्यवाही प्रतिवादी क्रम–1 तथा उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में की गई है। इस संबंध में आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी क्रम–1, उसके पति तथा चिकित्सक बतौर साक्षी उपस्थित हुए हैं और यह कथन किया है कि दिनांक 25.07.2019 के कुछ समय पूर्व व पश्चात् प्रतिवादी क्रम–1 गंभीर रूप से अस्वस्थ थी, इस संबंध में चिकित्सकीय दस्तावेज भी प्रस्तुत हुए हैं। विचारण न्यायालय द्वारा भी दिनांक 25.07.2019 को प्रतिवादी क्रम–1 की अनुपस्थिति को उचित व सद्भाविक माना है। विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि दिनांक 25.07.2019 से पूर्व वर्ष 2019 के प्रारंभ में प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा वादी के गवाहान से जिरह हेतु बार–बार समय लिया गया, आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अल्प अवधि में दो–तीन स्थगन प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा चाहे गये हैं तत्पश्चात् उचित आधार होने से बिना कोस्ट अथवा कोस्ट पर स्थगन दिये गये हैं, अतः ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती आचरण अधिक सुसंगत नहीं रहता है। जहां तक पश्चात्वर्ती आचरण का प्रश्न है, दिनांक 25.07.2019 के उपरांत माह अगस्त में ही विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 08.08.2019, 26.08.2019 व 30.08.2019 तारीख पेशी नियत करते हुए प्रतिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध कर दिनांक 17.09.2019 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उपरोक्त पेशियों पर भी चिकित्सकीय दस्तावेजों के अनुसार प्रतिवादी क्रम–1 पूर्ण रूप से स्वस्थ रहा हो, ऐसा निश्चायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा निर्णय व डिक्री की जानकारी होते हुए आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो मात्र 17 दिन के विलम्ब से है, विलम्ब के संबंध में भी उचित आधार बताये गये है। जहां मामला अचल संपत्ति से जुड़ा होकर पक्षकारों के सारवान अधिकार तय होने हैं, उस समय अत्यंत कठोर तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया जाना उचित नहीं है।

वर्तमान मामले में असाधारण या अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन तथा आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार योग्य था लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अनावश्यक रूप से

कठोर तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है, जो विलम्ब हुआ है अधिकतम उसके लिए प्रतिवादी क्रम–1 पर कोस्ट अधिरोपित की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रम–1 की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.10.2022 अपास्त किया जाता है और प्रतिवादी क्रम–1 पर 20,000/–रूपये कोस्ट अधिरोपित करते हुए एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 17.09.2019 को भी अपास्त किया जाता है। उपरोक्त कोस्ट राशि में से 10,000/–रूपये आज से तीस दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा में प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा जमा करवाई जायेगी तथा शेष 10,000/–रूपये वादी को अदा की जायेगी अथवा अदा करने हेतु तीस दिवस में विचारण न्यायालय में जमा करवाई जायेगी। कोस्ट पूर्ववर्ती शर्त होगी, जिसकी पालना नहीं होने पर यह अपील खारिज मानी जायेगी।

विचारण न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शर्तों के अधीन वाद को पुनः नंबर पर लेकर विधिनुसार सुनवाई करते हुए निस्तारण करे। दोनों पक्षों को विचारण न्यायालय में दिनांक 10.03.2026 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /18